सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः-2024/405 दर्ज तिथिः-09.09.2024

1. चुन्नीलाल पुत्र गोमाराम
2. जेती पुत्री गोमाराम
   जाति जाट निवासी नेहरो का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखड़ा जिला बाडमेर

............................वादीगण

बनाम

1. गोमाराम पुत्र रायमलराम
2. केहनाराम पुत्र रायमलराम
   जाति जाट निवासी नेहरो का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखड़ा जिला बाडमेर
3. शाखा प्रबंधक स. भू. वि. बैंक लि. शाखा बालोतरा
4. तहसीलदार नौखड़ा।

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः-श्री ठाकराराम
प्रतिवादीः-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

-:निर्णयः-

निर्णय तिथिः-17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 151/10/12.7152 है0, 151/11/13.7269 है0 मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीगण के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पिता रायमलराम खातेदारी आराजी थी। खातेदार रायमलराम की विरासत अनुसार केहनाराम पुत्र रायमलराम व गोमाराम पुत्र रायमलराम के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीगण वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजी को भू माफियाओं को बेचान करने पर आमादा है तथा वादीगण के हक हिस्से की आराजी को बैचान या हस्तांतरण करने की योजना बना रहे हैं। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण के बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 06 संवत 2073–76	प्रदर्श–01
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त मौजा नोखड़ा	प्रदर्श–02
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 174 मौजा नेहरों का बेरा	प्रदर्श–03
नक्शा	खसरा संख्या 151 / 11 मौजा नेहरों का बेरा	प्रदर्श–04
नक्शा	खसरा संख्या 151 / 10 मौजा नेहरों का बेरा	प्रदर्श–04

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
चुनीलाल पुत्र गोमाराम	जाट	नेहरों का बेरा
जेती पुत्री गोमाराम	जाट	नेहरों का बेरा

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैंः–

    1. वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 02 जेती पुत्री गोमाराम के अधिकारों को हटाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के अधिकारों के साथ वादी संख्या 01 को सहखातेदार घोषित किया जावे।

6. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

1. वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 02 जेती पुत्री गोमाराम के अधिकारों को हटाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के अधिकारों के साथ वादी संख्या 01 को सहखातेदार घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में प्रथम अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*
>
> ***Provided*** *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.*
>
> *(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.*
>
> *(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:*
>
> *(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.*
>
> *(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

8. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

6. Devolution of interest in coparcenary property.—
(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—

(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;

(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

9. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व प्राप्त होकर सहदायिकी का दर्जा प्राप्त करने के प्रावधान है। साथ ही अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में कोई सहदायक कभी भी अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवा सकता है। उक्त विधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की संतान हैं। इस आधार पर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 उक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक हैं। अतः वादी उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है।

10. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में वादी संख्या 02 जेती पुत्री गोमाराम ने अपने अधिकारों का परित्याग करते हुए वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार किया है। परंतु किसी खातेदार का अपने खातेदारी अधिकारों का हकत्याग किया जाना सम्पति का अंतरण अधिनियम–1882 के प्रावधानों के तहत शासित होता है। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। इस प्रकार वादी संख्या 02 जेती पुत्री गोमाराम को उक्त खातेदारी आराजी में अपने अधिकारों का परित्यागसम्पति का अंतरण अधिनियम–1882 के प्रावधानों तहत करना होगा। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के तहत वादीगण के प्रतिवादी संख्या 01 की संतान होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 151 / 10 / 12.7152 है0, 151 / 11 / 13.7269 है0 मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है।इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 151/10/12.7152 है0, 151/11/13.7269 है0 मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा में उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी मानते हुए मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार पुत्रियों को समान अधिकार मानते हुए नियमानुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी संख्या 02 का राजीनामे के माध्यम से हकत्याग अस्वीकार किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज दिनांक 17.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः-2024/405 दर्ज तिथिः-09.09.2024

1. चुन्नीलाल पुत्र गोमाराम
2. जेती पुत्री गोमाराम
   जाति जाट निवासी नेहरो का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखड़ा जिला बाडमेर

...........................वादीगण

बनाम

1. गोमाराम पुत्र रायमलराम
2. केहनाराम पुत्र रायमलराम
   जाति जाट निवासी नेहरो का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखड़ा जिला बाडमेर
3. शाखा प्रबंधक स. भू. वि. बैंक लि. शाखा बालोतरा
4. तहसीलदार नौखड़ा।

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः-श्री ठाकराराम
प्रतिवादीः-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

-:पर्चा डिक्रीः-

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 151/10/12.7152 है0, 151/11/13.7269 है0 मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा में उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी मानते हुए मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार पुत्रियों को समान अधिकार मानते हुए नियमानुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी संख्या 02 का राजीनामे के माध्यम से हकत्याग अस्वीकार किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:52 IST
Reason: SelfAttested